कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा/शालादर्पण/60306(1)/2017–18/103 दिनांक :– 09-03-2018

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
   माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा
2. समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी,
3. समस्त पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी,

विषय :– हाउस होल्ड सर्वे 2017–18 के अन्तर्गत चिह्नित किए गए शिक्षा से वंचित बालक–बालिकाओं की संख्या एवं विवरण शालादर्शन पोर्टल पर अपलोड करने के क्रम में।

प्रसंग :– आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् जयपुर का पत्रांक – राप्राशिप/जय/वै.शि./एचएचएस/17–18/3978 दिनांक 23.02.2018

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग में लेख है कि राज्य एवं भारत सरकार द्वारा राज्य में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढाने के साथ–साथ समस्त बालक–बालिकाओं को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने हेतु विभिन्न स्तरो पर प्रयास किए जा रहे है। सशक्त एवं शिक्षित समाज हेतु आवश्यक है कि प्रत्येक बालक–बालिका को शिक्षा उपलब्ध हो। इस उद्देश्य के साथ सम्पूर्ण प्रदेश में शिक्षा से वंचित बालक–बालिकाओं के उपलब्ध डाटा को विद्यालय स्तर से सत्यापित कराने के लिए सत्र 2017–18 में हाउस होल्ड सर्वे आयोजित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे उक्त प्रयासों में आपको दिए गए दायित्वों के अन्तर्गत सर्वे के दौरान ऐसे बालक–बालिकाऐं जो अनामांकित है अथवा अपरिहार्य कारणों से ड्रॉप आउट होने के कारण जिनकी प्रारम्भिक शिक्षा होना शेष है, का चिह्नीकरण किया जाकर इन्हे शिक्षा की मुख्य धारा से जाडने के प्रयास किए जा रहे है।

सर्वे के दौरान चिह्नित किए गए अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बालक–बालिकाओं की शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इनकी संख्या एवं अन्य विवरण (चिह्नीकरण एवं मैनपस्ट्रिमिंग) शालादर्शन पोर्टल पर दर्ज करने हेतु राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् से जारी दिशा निर्देश क्रमांक राप्राशिप/जय/वै.शि./एचएचएस/17–18/5862 दिनांक 22.8.2018 के पृष्ठ संख्या 04 के बिन्दु संख्या 05 के अनुसार आपकों दिनांक 31.12.2017 तक ऑनलाईन प्रविष्ठि की जानी थी। किन्तु कार्य की अधिकता को ध्यान में रखते हुए इसे दिनांक 31.01.2018 तक बढाया गया था। इस संबंध में आपकों राज्य स्तर से अनेक स्तरों यथा दूरभाष, पत्राचार, विडियो कॉन्फ्रेस के माध्यम से अवगत कराते हुए कार्य को निर्धारित समयावधि में प्रतिबद्धता के साथ पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

आपके द्वारा किए जा रहे उक्त कार्य की समीक्षा राज्य स्तर पर करने पर संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा किए गए चिह्नीकरण काउन्ट एवं चिह्नीकरण संबंधित प्रगति आदिनांक तक अत्यधिक न्यून अथवा शून्य होने के कारण सर्वे कार्य की सफलता पर प्रश्न चिह्न बनाता है। विदित रहे कि जनगणना से प्राप्त संख्या की तुलना में शालादर्शन पोर्टल पर आपके द्वारा शिक्षा से वंचित बालकों का चिह्नीकरण काउन्ट एवं चिह्नीकरण में अंकित की गई सूचना में काफी अंतर आ रहा है अतः आपकों निर्देशित किया जाता है कि शालादर्शन पोर्टल पर बालक–बालिकाओं की संख्या में आ रहे अन्तर को दूर करते हुए सूचनाओं को अद्यतन करें। परिषद् से सभी जिलों को प्रोजेक्टेड जनगणना के अनुसार संभावित OoSC संख्या जिलेवार भिजवाई गई है, उसके अनुसार समीक्षा करते हुए अपने–अपने क्षेत्र में निम्न कार्य अविलम्ब शालादर्शन पोर्टल पर पूर्ण कर निदेशालय को सूचित करें:–

www.rajteachers.com

1. शत–प्रतिशत PEEOs एवं BEEOs द्वारा OoSC मॉड्यूल को लॉग इन किया जावे तथा OoSC चिह्नीकरण काउन्ट, OoSC count मॉड्यूल एवं OoSC चिह्नीकरण मॉड्यूल मे प्रविष्टि करने वाले PEEOs एवं BEEOs इनमें भरी गई बालक, बालिका एवं अन्य की संख्या/विवरण की प्रविष्टि हाउस होल्ड सर्वे प्रपत्र–01 के अनुसार की जा रही है। इन दोनों मॉड्यूल में प्रविष्ट बालक–बालिकाओं की संख्या के अन्तर (विशेष रूप से अन्य में अंकित) की समीक्षा एवं सुधार करते हुए शत–प्रतिशत PEEOs एवं BEEOs प्रविष्टियां पूर्ण करें।
2. चिह्नित Never Enrolled एवं ड्रॉप–आउट बालक–बालिकाओं को शत–प्रतिशत मैनस्ट्रीम कराने संबंधी प्रयास करें एवं इनके लिए पृथक–पृथक आवश्यक योजना एवं प्रस्ताव (यथा गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर/आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर/सीजनल हॉस्टल संबंधी) तैयार करें। मैनस्ट्रीम नही होने वाले बालक–बालिकाओं के कारण एवं औचित्य की सूचना रखें।
3. शिक्षा से वंचित बालक–बालिकाओं का चिह्नीकरण, मैनस्ट्रीमिंग एवं शालादर्शन पोर्टल उनसे संबंधित डाटा को अपलोड करने का उत्तरदायित्व शहरी क्षेत्र में वार्ड अनुसार BEEOs को एवं ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत अनुसार PEEOs का निर्धारित किया गया है। यह कार्य प्रतिवर्ष मई–जून एवं नवम्बर–दिसम्बर माह में सम्पन्न करवाया जाना प्रस्तावित है, अतः इसे मिशन रूप में लेते हुए शत प्रतिशत प्रविष्टियां पूर्ण करावें।
4. शालादर्शन पोर्टल पर अपलोड सूचनाओं को पुनः ध्यानपूर्वक देखकर इसमें गलत प्रविष्ट की गई सूचनाओं को सही करें एवं जो सूचनाऐं अब तक प्रविष्ट नहीं की गई है उनकी प्रविष्टि शीध्रातिशीध्र करवाया जाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा आपके क्षेत्राधिकार में संचालित अन्य संस्थाऐं जो शालादर्शन पोर्टल पर नहीं है, की संख्या, संचालन कर्ता एजेन्सी एवं उनमें पंजीकृत/नामांकित बालक–बालिकाओं की सूचना निदेशालय को शीध्रातिशीध्र अनिवार्यतः भिजवाऐ।

(नथमल डिडेल)
आईएएस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् जयपुर।
3. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, रामाशिप जयपुर।
4. निजी सहायक,निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त राप्राशिप/रामाशिप जयपुर।
6. निजी सहायक,शासन उपसचिव,प्रारम्भिक शिक्षा(आयोजना)अनुभाग राज0 जयपुर।
7. संबधित उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा को प्रभावी प्रबोधन हेतु।
8. प्रभारी, शालादर्पण प्रकोष्ठ जयपुर।
9. स्टाफ ऑफिसर कार्यालय हाजा।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर

E:\GOVIND GEN.LETTER